



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

सं०: 1653 -मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2015-13-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2009

दिनांक : ०९ सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 2608/2011 यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० बनाम राजेश कुमार व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश सं०-8/4/1/2002 टीसी-1-का/2015 दिनांक 21.08.2015 जिसे उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं० 1528/मा०सं०प्र०-02/उनि०लि०/2015 दिनांक 25.08.2015 द्वारा निगम की सेवाओं में लागू करने हेतु अंगीकृत किया गया है तथा इस क्रम में शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश सं० 2202/24-पी-2-2015-सा०(130)/15 टी०सी०-2 दिनांक 26.08.2015 तथा आदेश सं० 2205/24-पी-2-2015-सा०(130)/15 टी०सी०-2 दिनांक 27.08.2015 के अनुपालन में निगम के आमेलित/संविलीन निम्नलिखित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गई प्रोन्नति तिथि को पोषक संवर्ग की एकल वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार संशोधित करते हुए (स्तम्भ-4 के अनुसार) उन्हें एतद्वारा उनके वर्तमान तैनाती स्थल पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम / पिता का नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरांत धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गई प्रोन्नतियों के पदनाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर संशोधित की गयी प्रोन्नति का पदनाम/ प्रोन्नति का दिनांक
1	2	3	4
1	राम नाथ स्व० बाबू लाल, लखनऊ	समीक्षा अधिकारी 31.05.2003	समीक्षा अधिकारी 03.08.2010
2	राजेन्द्र कुमार स्व० बाबू लाल, लखनऊ	समीक्षा अधिकारी 01.07.2003	समीक्षा अधिकारी 03.08.2010

- प्रोन्नति की तिथि में संशोधन के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिकों का वेतन शासनादेश संख्या-8/4/1/2002 टीसी-1-का/2015 दिनांक 21.08.2015 के प्रस्तर-6(ख) में दी गई व्यवस्थानुसार विनियमित/निर्धारित होगा।
- उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

कमश:2

